न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या 1246

अन्तर्गत धारा–198(4) ज0वि0अ0
ग्राम चाचपारा परगना मीरानपुर
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर ।

सरकार वनाम शंकर सुत कूवे ।

निर्णय

पटटा निरस्तीकरण का प्रस्तुत वाद उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या दिनांक 28.7.2006 के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रारम्भ किया गया । आख्या के अनुसार गाटा संख्या 34मि रकवा 0.126 हे0 आकार पत्र–41 व 45 में तालाव के खाते में अंकित है। वर्तमान अभिलेख में विवादित भूमि विपक्षी के नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलेखो के अनुसार विवादित भूमि तालाव के खाते की भूमि है।उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तालाव पर किये गये कृषि आवंटन को निरस्त किये जाने की आख्या प्रेषित किया गया है।

उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–45 में विवादित भूमि तालाव के खाते में अंकित है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कब्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है। तालाव या तो अप्रयोग के कारण या हितवद्व व्यक्तियों के द्वारा उसमें मिटटी भरकरके सक्रिय प्रयास के द्वारा सूख गये है । इस न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, तो उक्त आवंटन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई, 1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए

हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व तालाब के खाते की भूमि थी। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर आवंटन/ इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार विवादित गाटा संख्या 34मि रकवा 0.126 हे0 स्थित ग्राम चाचपारा परगना मीरानपुर तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर से विपक्षी शंकर सुत कूवे निवासी ग्राम जगदीशपुर परगना मीरानपुर का नाम खारिज करके भूमि ग्रामसभा के तालाव के खाते में अंकित की जाती है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
4.8.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या

अन्तर्गत धारा–198(4) ज0वि0अ0
ग्राम भगौतीपुर दक्षिण परगना चांदा
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर ।

सरकार वनाम गंगादीन ।

निर्णय

पटटा निरस्तीकरण का प्रस्तुत वाद उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या दिनांक 16.10.2006 के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रारम्भ किया गया । आख्या के अनुसार गाटा संख्या 32 रकवा 0.961 हे0 आकार पत्र–41 व 45 में तालाव के खाते में अंकित है। वर्तमान अभिलेख में विवादित भूमि विपक्षी के नाम असंक्रमणीय भूमिधर अंकित है। अभिलेखो के अनुसार विवादित भूमि तालाव के खाते की भूमि है।उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा विवादित भूमि तालाव के खाते की अंकित होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में विवादित भूमि तालाव के खाते में अंकित है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कब्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है। तालाव या तो अप्रयोग के कारण या हितवद्व व्यक्तियों के द्वारा उसमें मिटटी भरकरके सक्रिय प्रयास के द्वारा सूख गये है । इस न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, तो उक्त आवंटन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई,

1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व तालाब के खाते की भूमि थी। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर आवंटन/ इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार विवादित गाटा संख्या 32/2मि रकवा 0.101 हे0 स्थित ग्राम भगौतीपुर दक्षिण परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर से विपक्षी गंगादीन पुत्र लाला निवासी ग्राम भगौतीपुर दक्षिण परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर का नाम खारिज करके भूमि ग्रामसभा के तालाव के खाते में अंकित की जाती है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
4.11.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या

अन्र्तगत धारा–33 / 39 भूराजस्व अधि0
ग्राम भगौतीपुर दक्षिण परगना चांदा
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर ।

सरकार वनाम मां चन्द्रिका भवानी सिद्वि सेवा संस्थान आदि ।

निर्णय

उपजिलाधिकारी लम्भुआ जनपद सुलतानपुर की संस्तुति दिनांक 16.10.2006 के साथ प्राप्त तहसीलदार लम्भुआ की आख्या के अनुसार गाटा संख्या 32 रकवा 0.961 हे0 व 34 रकवा 2.011 हे0 स्थित ग्राम भगौतीपुर दक्षिण परगना चांदा जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में तालाव के खाते में अंकित भूमि है। वर्तमान खतौनी में गाटा संख्या 32मि रकवा 0.860 हे0 खाता संख्या 97 में (1414 ता 1419 फसली) में मां चन्द्रिका अलोपी भवानी सिद्वि सेवा संस्थान के नाम श्रेणी 6 (2) में दर्ज है। तथा गाटा संख्या 34 रकवा 2.011 हे0 खाता संख्या 95 में गौरीशंकर धाम संस्थान के नाम श्रेणी 6 (2)दर्ज है। गाटा संख्या 32 व 34 के संस्थान के अध्यक्ष वीरेन्द्र पुत्र राजपति मिश्र निवासी भगौतीपुर दक्षिण है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में तालाव के खाते की भूमि को तालाव में निहित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में विवादित भूमि तालाव के खाते में अंकित है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कव्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है। तालाव या तो अप्रयोग के कारण या हितवद्व व्यक्तियों के द्वारा उसमें मिटटी भरकरके सक्रिय प्रयास के द्वारा सूख गये है । इस न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कव्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो

गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव के रूप में

प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, तो उक्त आवंटन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई, 1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व तालाब के खाते की भूमि थी जो विना किसी आधार के विपक्षीगण के नाम अंकित हो गयी है। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार ग्राम भगौतीपुर दक्षिण परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के विवादित गाटा संख्या 32 रकवा 0.860 हे0 से मां चन्द्रिका अलोपी भवानी सिद्वि सेवा संस्थान का नाम व गाटा संख्या 34 रकवा 2.011 हे0 से गौरीशंकर धाम सेंवा संस्थान का नाम खारिज करके भूमि ग्रामसभा के तालाव के खाते में अंकित की जाती है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
4.11.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या

अर्न्तगत धारा–219 भूराजस्व अधि0
ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर ।

सरकार वनाम जगदीश प्रसाद आदि ।

निर्णय

उपजिलाधिकारी लम्भुआ जनपद सुलतानपुर की संस्तुति दिनांक 16.10.2006 के साथ प्राप्त तहसीलदार लम्भुआ की आख्या के अनुसार ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर की वर्तमान खतौनी 1413 ता 1418 फसली के खाता संख्या 39 पर भूखण्ड संख्या 115 रकवा 0.070 हे0 जगदीश प्रसाद सुत राम दयाल मां विन्ध्यवासिनी शि0 तमरसेपुर तथा खाता संख्या 219 पर भूखण्ड संख्या 115 रकवा 0.040 धमेंन्द्र कुमार सुत राम शत्रुध्न निवासी ग्राम तमरसेपुर के नाम दर्ज है। जो 1383 फसली में तालाव के खाते में दर्ज हैं । उपरोक्त भूमि नायव तहसीलदार चांदा के मु0न0 503 तारीख फैसला 11.4.88 खतौनी 1395 ता 1400 फसली में अमलदरामद अंकित है। इस मुकदमें की कोई पत्रावली अभिलेखागार में उपलव्ध्ध नही है। आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि विपक्षीगण के द्वारा मौखिक रूप से चकवन्दी के पूर्व का पटटा बताया गया परन्तु कोई साक्ष्य नही उपलव्ध कराया गया है। इसी आधार पर विपक्षीगणों का नाम निरस्त किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या एवं पत्रावली पर उपलव्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में विवादित भूमि तालाव के खाते में अंकित है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कव्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है। तालाव या तो अप्रयोग के कारण या हितवद्व व्यक्तियों के द्वारा उसमें मिटटी भरकरके सक्रिय प्रयास के द्वारा सूख गये है । इस न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कव्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली

के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव के रूप में
प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, तो उक्त आवंटन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई,
1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व तालाब के खाते की भूमि थी जो विना किसी आधार के विपक्षीगण के नाम अंकित हो गयी है। जिसकी अमलदरामद में नायव तहसीलदार चांदा के आदेश दिनांक 11.4.88 का उल्लेख किया गया है। नायव तहसीलदार स्तर पर किसी भी धारा के अर्न्तगत गांवसभा की भूमि के विरूद्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आदेश करने का अधिकार नही है। उक्त वाद की कोई पत्रावली उपलब्ध नही है। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर नायव तहसीलदार चांदा के आदेश दिनांक 11.4.88 की अमलदरामद/इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के विवादित गाटा संख्या 115 रकवा 0.070 हे0 से विपक्षी जगदीश प्रसाद सुत राम दयाल मा0 बिन्द वासनी शि0 तमरसेपुर व गाटा संख्या 115मि रकवा 0.040 हे0 से धमेन्द्र कुमार सुत राम शत्रुध्न निवासी ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर का नाम अंकित इन्द्राज खारिज करके भूमि ग्रामसभा के तालाव के खाते में अंकित की जाती है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
4.11.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या

अन्र्तगत धारा–219 भूराजस्व अधि0
ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर ।

सरकार वनाम मां विन्ध्यवासिनी शिक्षण संस्थान ।

निर्णय

उपजिलाधिकारी लम्भुआ जनपद सुलतानपुर की संस्तुति दिनांक 16.10.2006 के साथ प्राप्त तहसीलदार लम्भुआ की आख्या के अनुसार ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर की वर्तमान खतौनी 1413 ता 1418 फसली के खाता संख्या 103 पर भूखण्ड संख्या 27 रकवा 0.202 हे0 मां विन्ध्यवासिनी शिक्षण संस्थान प्रवन्धक जगदीश प्रसाद पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के नाम अंकित है।जो 1392 फसली में नाला के खाते में दर्ज हैं । उपरोक्त भूमि नायव तहसीलदार चांदा के मु0न0 503 तारीख फैसला 11.4.88 खतौनी 1395 ता 1400 फसली में अमलदरामद अंकित है। इस मुकदमें की कोई पत्रावली अभिलेखागार में उपलव्ध्र नही है। आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी के द्वारा मौखिक रूप से चकवन्दी के पूर्व का पटटा बताया गया परन्तु कोई साक्ष्य नही उपलव्ध्र कराया गया है। इसी आधार पर विपक्षीं का नाम निरस्त करके नाले के खाते में अंकित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में विवादित भूमि नाला के खाते में अंकित है।नाला भी सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है। जो प्राकृतिक जल के संबाहन का कार्य करता है। नाले की प्रकृति के विनष्ट हो जाने पर बरसात का प्राकृतिक जल जो नाले से ही होकर तालाव या नदी में जाता है, का अस्तित्व समाप्त हो जाने पर प्राकृतिक जल का नियन्त्रण ही समाप्त हो जायेगा । इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कव्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है।नाला ही प्राकृतिक जल का नियन्त्रक है। माननीय उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति

ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव व नाला व नदी आदि के रूप में

प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव ,नाला या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव या नाला के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव या नाले के रूप में प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित किया गया है, तो उक्त आवंटन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल, नाला आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई, 1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व नाला के खाते की भूमि थी जो विना किसी आधार के विपक्षी के नाम अंकित हो गयी है। जिसकी अमलदरामद में नायव तहसीलदार चांदा के आदेश दिनांक 11.4.88 का उल्लेख किया गया है। नायव तहसीलदार स्तर पर किसी भी धारा के अर्न्तगत गांवसभा की भूमि के विरूद्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आदेश करने का अधिकार नही है। उक्त वाद की कोई पत्रावली उपलब्ध नही है। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर नायव तहसीलदार चांदा के आदेश दिनांक 11.4.88 की अमलदरामद/इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के विवादित गाटा संख्या 27 रकवा 0.202 हे0 से विपक्षी मां विन्ध्यवासिनी शिक्षण संस्थान प्रवन्धक जगदीश प्रसाद सुत राम दयाल निवासी तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के नाम अंकित इन्द्राज खारिज करके भूमि ग्रामसभा के नाला के खाते में अंकित की जाती है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
4.11.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या

अन्र्तगत धारा–219 भूराजस्व अधि0
ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा
तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर ।

सरकार वनाम जगदीश प्रसाद ।

निर्णय

उपजिलाधिकारी लम्भुआ जनपद सुलतानपुर की संस्तुति दिनांक 16.10.2006 के साथ प्राप्त तहसीलदार लम्भुआ की आख्या के अनुसार ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर की वर्तमान खतौनी 1413 ता 1418 फसली के खाता संख्या 39 पर भूखण्ड संख्या 117 रकवा 0.067 हे0 जगदीश प्रसाद पुत्र राम दयाल निवासी ग्राम तमरसेपुर के नाम दर्ज है। जो 1383 फसली में भीटा के खाते में दर्ज हैं । उपरोक्त भूमि नायव तहसीलदार चांदा के मु0न0 503 तारीख फैसला 11.4.88 खतौनी 1395 ता 1400 फसली में अमलदरामद अंकित है। इस मुकदमें की कोई पत्रावली अभिलेखागार में उपलव्ध नही है। आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी के द्वारा मौखिक रूप से चकवन्दी के पूर्व का पटटा बताया गया परन्तु कोई साक्ष्य नही उपलव्ध कराया गया है। इसी आधार पर विपक्षीं का नाम निरस्त करके इन्द्राज भीटा के खाते में अंकित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।

उपजिलाधिकारी लम्भुआ की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में विवादित भूमि भीटा के खाते में अंकित है।भीटा भी सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी (भीटा), पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है।
राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव , भीटा आदि का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । प्रायः भीटा तालाव के किनारे किनारे अपने अस्तित्व में रहकर जल संरक्षण का कार्य करते है। इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव या भीटा के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कव्जे में है तो ऐसा तालाव , भीटा या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव या भीटा ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है।भीटा ही तालाव के किनारे किनारे अपने अस्तित्व में रहकर प्राकृतिक जल का नियन्त्रक है। माननीय उच्च न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है

जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व

अभिलेखो में तालाव , भीटा व नदी आदि के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव ,भीटा या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव या भीटा के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव या भीटे के रूप में प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति को आवंटित / इन्द्राज किया गया है, तो उक्त आवंटन / इन्द्राज शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, भीटा गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई, 1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व भीटा के खाते की भूमि थी जो विना किसी आधार के विपक्षी के नाम अंकित हो गयी है। जिसकी अमलदरामद में नायव तहसीलदार चांदा के आदेश दिनांक 11.4.88 का उल्लेख किया गया है। नायव तहसीलदार स्तर पर किसी भी धारा के अर्न्तगत गांवसभा की भूमि के विरूद्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आदेश करने का अधिकार नही है। उक्त वाद की कोई पत्रावली उपलब्ध नही है। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी लम्भुआ के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर नायव तहसीलदार चांदा के आदेश दिनांक 11.4.88 की अमलदरामद/इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार ग्राम तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के विवादित गाटा संख्या 117मि रकवा 0.067 हे0 से विपक्षी जगदीश प्रसाद सुत राम दयाल मां विन्ध्यवासिनी शिक्षण संस्थान तमरसेपुर परगना चांदा तहसील लम्भुआ जिला सुलतानपुर के नाम अंकित इन्द्राज खारिज करके भूमि ग्रामसभा के भीटा के खाते में अंकित की जाती है। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
4.11.2006